UPJB010050062022

# न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा।

**पीठासीन–ज़फ़ीर अहमद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)**
{JOCODE–UP6533}

**सत्र परीक्षण संख्या–657/2022**

उत्तर प्रदेश राज्य.............................................................. **लोक अभियोजक।**

**।। बनाम ।।**

01. **सुनील पुत्र रूपराम,**
02. **रूपराम पुत्र हरिकेश,**
**निवासीगण मौहल्ला काशीराम कालौनी, थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा।**
........................................................**अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्या–137/2022,
धारा–498–A, 304–B/34 भारतीय दण्ड विधान,
विकल्प में धारा 302/34 भारतीय दण्ड विधान,
एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा।

संज्ञान का दिनांकः 06.08.2022 द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा
सुपुर्दगी का दिनांकः 22.08.2022
आरोप निर्मित किये जाने का दिनांकः 17.09.2022

निर्णय सुरक्षित किये जाने का दिनांकः 09.04.2024
निर्णय उदघोषणा का दिनांकः 22.04.2024

**राज्य की ओर से–** **श्री महावीर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)**

**अभियुक्तगण की ओर से–** **श्री प्रमोद कुमार, एडवोकेट।**

## ।। निर्णय ।।

1. इस सत्र परीक्षण में उपरोक्त अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम का विचारण थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–137/2022 में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर धारा–498–A, 304–B सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान, विकल्प में धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, इस न्यायालय द्वारा किया गया है।

**<u>अभियोजन कथानक</u>**

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा श्री गंगाराम **(पी.डब्ल्यू.1)** पुत्र श्री लक्ष्मन, निवासी सैदनंगली, थाना सैदनंगली, जिला

................P. T. O.

Digitally signed by ZAFEER AHMAD
Date: 2024.04.22 16:13:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अमरोहा के द्वारा अपने ही पुत्र/तहरीर लेखक बलवन्त सिंह से लिखवाकर एक तहरीर **(प्रदर्श–क–1)** पुलिस थाना बछरायूँ में इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी कि मैं, गंगाराम पुत्र लक्ष्मन, ग्राम सैदनंगली, थाना सैदनंगली, जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा अपनी पुत्री रूबी, उम्र 26 वर्ष की शादी अब से करीब 2 वर्ष पूर्व सुनील पुत्र रूपराम, निवासी मकान नम्बर –186 काशीराम कालोनी, कस्बा व थाना बछरायूं के साथ हिन्दू रीति रिवाज से अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी, परन्तु मेरे द्वारा दिये गये दान दहेज से मेरी पुत्री का पति सुनील पुत्र रूपराम, रूपराम पुत्र नामालूम (ससुर), गजेन्द्र (ज्येष्ठ) व जितेन्द्र (ज्येष्ठ), मीनू (जेठानी) दिये गये दान दहेज से खुश नहीं थे तथा दहेज में मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद की मांग कर तरह–तरह से मेरी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मेरी पुत्री, फोन से तथा जब गांव आती थी, इस सम्बन्ध में परिवार वालों को पूरी बात बताती थी। मेरे द्वारा काफी मांगे पूरी कर दी गयी थीं तथा इन लोगों को समझाया भी था कि मैं गरीब आदमी हूँ। तुम्हारी मांगे और पूरी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद इन लोगों के द्वारा पुत्री रूबी को और अधिक परेशान करना शुरू कर दिया और बीती रात दिनांक 03/04.06.2022 को गला दबा कर, उसको मार दिया। मेरी पुत्री का शव काशीराम कालोनी में रखा है। सूचना को आया हूँ। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. उक्त लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस थाना बछरायूँ, जिला अमरोहा में महिला कांस्टेबिल सोनी द्वारा दिनांक **04.06.2022** को समय 12:16 बजे मुकदमा अपराध संख्याः **137/2022**, अंतर्गत धारा 498–A, 304–B भारतीय दण्ड विधान एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण सुनील, रूपराम, गजेन्द्र, जितेन्द्र एवं मीनू के विरूद्ध पंजीकृत किया गया और चिक एफ.आई.आर. **प्रदर्श–क–11** कम्प्यूटर पर अंकित की गयी, जिसका खुलासा थाने की जी.डी. कायमी संख्या–35 समय 12:16 बजे दिनांक 04.06.2022 को किया गया, इस कायमी मुकदमा जी.डी. की कम्प्यूटर प्रति पत्रावली पर **प्रदर्श–क–12** है।

4. दिनांक 04.06.2022 को एस.डी.एम., धनौरा के आदेश पर नायब तहसीलदार श्री अजीत कुमार मौके पर काशीराम कालोनी, बछरायूँ में आये, जहाँ थाना बछरायूँ के एस.एच.ओ. श्री अमर सिंह मय हमराह पुलिस बल मय जिल्द पंचायतनामा मौजूद मिले। शव के पास मौजूद मृतका रूबी के परिजन, रिश्तेदार व आस–पास के लोगों की भीड़ में से पंचान (सरदार जगतपाल, सुनील, सोनू, बलवन्त व धर्मवीर) नियुक्त करके पंचायतनामे की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। नायब तहसीलदार के द्वारा **मृतका रूबी** के शव का पंचायतनामा **प्रदर्श–क–2** तैयार किया गया, जिसमें चोट के कॉलम में उल्लेख किया गया कि महिला आरक्षी द्वारा मृतका के शव को उलट–पलट कर देखा तो पाया कि बायीं ओर पसली पर तथा दायीं पसली पर निशान नीलगू है तथा दोनों हाथों पर निशान नीलगू है। गले में आधा निशान अर्द्धगोलाकार है। विशेष कॉलम में मृतका के शव के ऊपर

.....contd on page no.3

छत में लगे पंखे, जिसकी ऊँचाई डबल बैड से करीब छः फिट होगी। पंखे में दुपटटा बंधा है। राय पंचान में उल्लेख किया गया कि हम पंचों की राय में मृतका की मृत्यु गला दबाकर करना प्रतीत हुई है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाये। अन्य अभिलेख पुलिस प्रपत्र संख्या–13, पत्र प्रतिसार निरीक्षक, फोटो नाश, नमूना मोहर एवं पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, जो **प्रदर्श–क–2 ता 7** के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं, तैयार किये गये तथा शव को सील सर्वमोहर करके आरक्षी परवीन कुमार व महिला आरक्षी रीना सिंह की सुपुर्दगी में देकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया।

5. मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री **अरूण कुमार (पी.डब्ल्यू.**5) के द्वारा की गयी, जिन्होंने वादी मुकदमा गंगाराम, उनकी पत्नी कमला देवी व अन्य गवाहान के बयान लिये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी **प्रदर्श–क–9** तैयार किया। दिनांक 05.07.2022 को नामित अभियुक्त रूपराम को गिरफ्तार कर उसका बयान अंकित किया तथा दिनांक 08.07.2022 को गवाहान श्री आदर्श कुमार, गवाह पंचाग श्री बलवन्त सिंह व गवाह श्रीमती पिंकी, श्रीमती गीता देवी, सुनील कुमार, श्री सरदार, जगतपाल सिंह व धर्मवीर सिंह के बयान अंकित किये। मृतका रूबी के शादी का कार्ड तथा दहेज की लिस्ट लेकर संलग्न सी०डी० किये। अन्य गवाहान के बयान अंकित किये। अभियुक्तगण गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू की नामजदगी विवेचना में गलत पायी गयी तथा विवेचना से उनके नाम पृथक किया गये। दिनांक 20.07.2022 को पी०एम० को ले जाने वाले आरक्षी प्रवीण कुमार, महिला आरक्षी रीना सिंह, पंचायतनामा में सहयोग कने वाले उपनिरीक्षक रामकुमार व मृतका का पी०एम० करने वाले पैनल के डॉक्टर मौ० उवैस, डॉ राहुल एवं डॉ चरन सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 29.07.2022 को जितेन्द्र कुमार, गजेन्द्र के बयान अंकित किये तथा अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोपपत्र **प्रदर्श–क–10** सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया।

6. आरोपपत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमरोहा के द्वारा दिनांक 06.08.2022 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये और उन्हें अभियोजन दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रदान की गयीं तथा प्रकरण आदेश दिनांकित 22.08.2022 के द्वारा सेशन सुपुर्द किया गया।

7. सेशन न्यायालय में अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम उपस्थित आये तथा न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.09.2022 के द्वारा अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम के विरूद्ध धारा 498–A, 304–B/34 भारतीय दण्ड विधान, विकल्प में धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कारित अपराध के विचारण हेतु आरोप विरचित किये गये तथा उन्हें उक्त आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

................P. T. O.

**अभिलेखीय साक्ष्य**

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गये एवं उन्हें साबित कराया गया, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 01 | लिखित तहरीर | प्रदर्श–क 01 |
| 02 | पंचायतनामा, मृतका श्रीमती रूबी | प्रदर्श–क 02 |
| 03 | पुलिस प्रपत्र 13 | प्रदर्श–क 03 |
| 04 | पत्र आर०आई० | प्रदर्श–क 04 |
| 05 | फोटो नाश | प्रदर्श–क 05 |
| 06 | नमूना मोहर | प्रदर्श–क 06 |
| 07 | पत्र सी०एम०ओ० | प्रदर्श–क 07 |
| 08 | पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतका श्रीमती रूबी | प्रदर्श–क 08 |
| 09 | नक्शा नजरी घटना स्थल | प्रदर्श–क 09 |
| 10 | आरोप पत्र | प्रदर्श–क 10 |
| 11 | चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट | प्रदर्श–क 11 |
| 12 | कम्प्यूटर प्रति जी.डी. कायमी | प्रदर्श–क 12 |

**मौखिक साक्ष्य**

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले के समर्थन में तथ्य के कुल दो साक्षीगण **पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2,** एक विशेषज्ञ (चिकित्सक) साक्षी **पी.डब्ल्यू.4** और तीन औपचारिक साक्षीगण **पी.डब्ल्यू.3, पी.डब्ल्यू. 5 एवं पी.डब्ल्यू. 6** प्रस्तुत किये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री गंगाराम (वादी मुकदमा व पिता मृतका) | पी.डब्ल्यू.1 |
| 2 | बलवन्त सिंह (मृतका का भाई एवं तथ्य का गवाह) | पी.डब्ल्यू.2 |
| 3 | नायब तहसीलदार श्री अजीत कुमार (औपचारिक साक्षी) | पी.डब्ल्यू.3 |
| 4 | डॉ० मौहम्मद उवैश (चिकित्सक) | पी.डब्ल्यू.4 |
| 5 | क्षेत्राधिकारी अरूण कुमार सिंह (विवेचक) | पी.डब्ल्यू.5 |
| 6 | महिला कां० सोनी (एफ.आई.आर. लेखक) | पी.डब्ल्यू.6 |

अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया और न ही किसी

.....contd on page no.5

अन्य साक्षी को परीक्षित कराने के लिए कोई प्रार्थनापत्र भी अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–1, वादी मुकदमा गंगाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 17.10.2022 को सशपथ कथन किया है कि मेरे कुल आठ बच्चे थे। दो लड़के व छः लड़कियाँ थी। इस समय सात जीवित है। मेरी सबसे छोटी लड़की रूबी अब जीवित नहीं है। रूबी की शादी सुनील पुत्र रूपराम के साथ अब से करीब दो साल पहले हुई थी। रूबी के पति सुनील, ससुर रूपराम, जेठानी मीनू, जेठ गजेन्द्र, जेठ जितेन्द्र दहेज में दो लाख रूपये नकद और मोटर साईकिल व वाशिंग मशीन की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उपरोक्त लोग रूबी के साथ मारपीट करते थे और प्रताड़ित करते थे। मेरी लड़की जब ससुराल से घर आती थी तब ससुराल वालों की शिकायत करती थी। मैंने रूबी के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मांग पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वे नहीं माने और रूबी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। दिनांक 03.06.2022 की शाम को मेरी बेटी रूबी से मेरी बात हुई कि उसे उसकी ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं सुबह आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह आठ बजे किसी का फोन आया। उसने बताया कि रूबी खत्म हो गयी है। सूचना पर मैं और मेरे परिवार वाले रूबी की ससुराल पहुँचे तो वहां रूबी की लाश कमरे में बेड पर पड़ी थी और उसकी ससुराल वाला कोई मौके पर मौजूद नहीं था। मेरी पुत्री रूबी की हत्या दहेज की खातिर सुनील, रूपराम, गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू ने मिलकर की है। इस घटना की तहरीर मैंने थाना बछरायूँ में अपने बड़े लड़के बलवन्त से लिखवाकर दी थी, जो मैंने बोला था वही उसने लिखा था। कागज संख्या 4/4 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाने पर दी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श–क–1** डाला गया। पोस्टमार्टम के बाद मैंने अपनी लड़की का अंतिम संस्कार किया था। उसकी ससुराल से कोई भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ था। सी०ओ० साहब ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–2, बलवन्त सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 01.11.2022 को सशपथ कथन किया है कि हम आठ भाई–बहन थे। दो भाई, छः बहने थीं। सात जीवित हैं। मेरी बहन रूबी जीवित नहीं है। रूबी की शादी सुनील पुत्र रूपराम के साथ हुई थी। शादी दिसम्बर 2020 में थी। रूबी के ससुराल वाले सुनील (पति), गजेन्द्र, जितेन्द्र (जेठ), रूपराम (ससुर), जेठानी मीनू, रूबी से दहेज में बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये मांगते थे। मेरी बहन रूबी जब अपने मायके आती थी तब वह दहेज मांगने वाली बात बताती थी। हमने रूबी के ससुराल वालों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूबी मरने से 15 दिन पहले हमारे घर आयी थी। उसने बताया कि दहेज न मिलने के कारण मुझसे ससुराल वाले मारपीट करते है और प्रताड़ित करते हैं। मरने से दो दिन पहले भी उसने फोन पर बताया कि

................P. T. O.

उसकी ससुराल वाले दहेज न मिलने के कारण जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे दिनांक 04.06.2022 को सुबह आठ बजे करीब रूबी की मृत्यु की सूचना मिली। किसी ने फोन करके बताया था। सूचना पर मैं और मेरे परिवार वाले वहां पहुँचे थे। जब हम पहुँचे तो रूबी की Dead body डबल बैड पर उसके कमरे में पड़ी हुई थी। उसकी ससुराल वाला वहां कोई नहीं था। रूबी की ससुराल वाले सुनील, रूपराम, गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू ने मिलकर रूबी की गला दबाकर दिनांक 03.06.2022 की रात्रि दहेज की खातिर हत्या कर दी। रूबी का एक लड़का है जो इस समय हमारी बहन सरिता के पास है। रूबी का अंतिम संस्कार हम लोगों ने किया था। उसकी ससुराल वाला कोई नहीं आया था। पुलिस ने मेरे बयान लिये थे। मैंने उन्हें सारी बाते बता दी थीं। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या–3, अजीत कुमार नायाब तहसीलदार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.06.2022 को मैं उपरोक्त स्थान व पद पर तैनात था। एस०एच०ओ० बछरायूँ द्वारा मुझे फोन पर सूचना दी गयी कि काशीराम कालोनी, कस्बा बछरायूँ में मृतका रूबी का पंचनामा भरना है। मैं, सूचना पर लगभग सवा बारह बजे दिन में मौके पर पहुँच था। मौके पर काफी भीड़ थी। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। वहां मौजूद लोगों में से पंचाग नियुक्त कर मेरे द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मृतका के शरीर को महिला कां० द्वारा उलट पलट कर देखा गया तो पाया कि मृतका के बायीं ओर पसली पर तथा दायीं पसली पर तथा दोनों हाथों पर निशान नीलगू हैं तथा गले में आधा निशान अर्द्ध गोलाकार है। पंचायतनामा भरने के उपरान्त शव को सील कर पी०एम० हेतु भेजा गया। पंचायातनामा पत्रावली पर कागज संख्या 5/4–5 के रूप में मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श–क–2** डाला गया। पुलिस प्रपत्र 13, पत्र आर०आई०, फोटो नाश, नमूना मोहर व पत्र सी०एम०ओ० पत्रावली पर मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श क–3** ता **प्रदर्श–क–7** डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या–4, डॉ० मौहम्मद उवैश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.06.2022 को मेरी डयूटी पी०एम० हाऊस पर रोस्टर के अनुसार थी। उस दिन मृतका श्रीमती रूबी का शव सी०पी० 121 प्रवीण कुमार, महिला आरक्षी 222 रीना सिंह, पी०एम० हेतु लेकर आये थे। मेरे द्वारा श्रीमती रूबी का पोस्टमार्टम समय 03:15 पी०एम० बजे प्रारम्भ किया गया था। मेरे साथ पैनल में डॉ० राहुल कुमार, सी०एच०सी० गजरौला व डॉ० चरन सिंह मौजूद थे।

<u>वाहय परीक्षण</u>

मृत्यु पश्चात अकड़न पूरे शरीर से पास हो चुकी थी।

.....contd on page no.7

(1). बायीं पलक पर (ऊपरी पलक पर) 0.2 सेन्टी मीटर X 0.2 सेन्टीमीटर खुरसठ का निशान था।

(2). लिगेचर मार्क 28 सेन्टी मीटर X 0.2 सेन्टी मीटर गर्दन पर सामने की तरफ 06 सेन्टीमीटर के गैप के साथ था। गैप गर्दन के बीचो बीच मौजूद था। Ligature marks ठोढ़ी के 04 सेन्टी मीटर नीचे व बाये कान से 04 सेन्टी मीटर नीचे, दाहिने कान से 0.5 सेन्टी मीटर नीचे था। मुहँ से लार टपक रही थी।

<u>**आन्तरिक परीक्षण**</u>

मस्तिष्क कंजस्टेड था। मुँह खुला था। मुँह से लार टपक रही थी। ग्रसनी कंजस्टेड, vocal code कंजस्टेड, ग्रीवा , आन्तरिक ऊतक, Trachea कंजस्टेड थे। Hyoid bone intact थी। फेफड़े कंजस्टेड थे। हृदय का Right chamber आधा भरा था। बड़ी रक्त वाहिनी भरी हुई थी। पेट में 50 एम०एल० गैसयुक्त जूस मौजूद था। छोटी आँत में गैस मौजूद थी, मल मौजूद था। लीवर कंजस्टेड था। गालब्लैडर भरा हुआ था। यूट्रस non-graned था। मृत्यु का समय मेरी राय में एक से डेढ़ दिन था। मृत्यु का कारण लटकने से दम घुटना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा इस पर सभी पैनल के डॉक्टर के हस्ताक्षर है। कागज संख्या 5/74-79 के रूप में मौजूद है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श-क-8** डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या-5,** विवेचक अरूण कुमार सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 14.06.2022 को मैं, सी०ओ० धनौरा के पद पर तैनात था। उसी दिन मुझे अपराध संख्या 137/2022 की विवेचना प्राप्त हुई। दिनांक 14.06.2022 को सी०डी० का तृतीय पर्चा किता किया, जिसमें विवेचना ग्रहण की तथा पूर्व सी०ओ० का स्थानान्तरण आदेश संलग्न किया। दिनांक 15.06.2022 को सी०डी० का चतुर्थ पर्चा किता किया, जिसमें पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया। दिनांक 17.06.2022 को सी०डी० का पंचम पर्चा किता किया, जिसमें मूल पी०एम० रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा अवलोकन किया गया तथा नकल पंचायतनामा अंकित किया। दिनांक 18.06.2022 को सी०डी० का षष्टम पर्चा किता गया, जिसमें मुकदमा वादी गंगाराम व उनकी पत्नी कमला देवी के मजीद बयान अंकित किये, जिसमें उनके द्वारा एफ०आई०आर० का समर्थन किया गया तथा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 5/1 के रूप में मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श-क-9** डाला गया। दिनांक 05.07.2022 को सी०डी० का सप्तम पर्चा किता गया, जिसमें नामित अभियुक्त रूपराम को गिरफ्तार किया गया तथा बयान अभियुक्त अंकित किया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। दिनांक 08.07. 2022 को सी०डी० का अष्टम पर्चा किता गया, जिसमें गवाहान श्री आदर्श

कुमार व गवाह पंचाग श्री बलवन्त सिंह व गवाह श्रीमती पिंकी, श्रीमती गीता देवी के बयान अंकित किये। गवाह सुनील कुमार व श्री सरदार, जगतपाल सिंह व धर्मवीर सिंह के बयान अंकित किये। उन्होंने एफ०आई०आर० का समर्थन किया व पंचायतनामा की गवाही अंकित करायी थी। मृतका रूबी की शादी का कार्ड वादी द्वारा दिया गया, दहेज की लिस्ट दी गयी। अवलोकन के बाद संलग्न सी०डी० की गयी। दिनांक 12.07.2022 को सी०डी० का नवम पर्चा किता किया। स्वतन्त्र साक्षी मौहल्लेवासी गौतम, सुभाष सिंह , ऊदल, हेमराज, कृपाराम, मुकेश, बाबूशाह, जाहिद हुसैन, राजपाल व आदेश कुमार के बयान अंकित किये, जिससे अभियुक्तगण गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू की नामजदगी विवेचना में गलत पायी गयी तथा विवेचना से नाम पृथक किये गये। दिनांक 20.07.2022 को सी०डी० की दसवां पर्चा किता किया, जिसमें पी०एम० हेतु ले जाने वाले आरक्षी प्रवीण कुमार व महिला आरक्षी रीना सिंह व पंचायतनामा में सहयोग करने वाले उपनिरीक्षक रामकुमार सिंह व मृतका रूबी का पी०एम० करने वाले पैनल के डॉक्टर मौ० उवैश, डॉ० राहुल कुमार व डॉ० चरन सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 29.07.2022 को सी०डी० का ग्यारवा पर्चा किता किया, जिसमें जितेन्द्र कुमार, गजेन्द्र के बयान अंकित किये तथा अभियुक्तगण सुनील पुत्र रूपराम व रूपराम पुत्र हरिकेश के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोप पत्र संख्या–144/2022 न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर कागज संख्या 3/1–10 के रूप में मौजूद है। मेरे हस्ताक्षर है। प्रमाणित करता हूँ। **प्रदर्श–क–10** डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

15. **अभियोजन साक्षी संख्या–6,** महिला कां० सोनी ने अपने बयान में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 04.06.2022 को मैं, थाना बछरायूँ में सीसीटीएनएस पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थी। उस दिन मेरे द्वारा वादी मुकदमा गंगाराम द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–137/2022 अन्तर्गत धारा 498A, 304B भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की चिक एफ.आई.आर. कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द अंकित कर किता की गयी, जो पत्रावली पर कागज संख्या 4/1–3 के रूप में मौजूद है। प्रमाणित करती हूँ। **प्रदर्श–क–11** डाला गया। इस मुकदमा का खुलासा उसी दिन जी०डी० रपट नम्बर 35 समय 12:16 बजे किया था। जी०डी० मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टाईप की गयी। जी०डी० की प्रति कागज संखअया 5/9 पत्रावली पर मौजूद है। प्रमाणित करती हूँ। **प्रदर्श–क–12** डाला गया। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसका उल्लेख निर्णय में आगे सुसंगत स्थान पर किया जायेगा।

16. अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के बयान, **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत दर्ज किये गये। अभियुक्तगण द्वारा मृतका रूबी का विवाह 10.12.2020 को अभियुक्त सुनील से होना स्वीकार किया है और कहा गया कि अभियोजन

.....contd on page no.9

कथानक गलत है और उनके विरूद्ध वादी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। तथ्य के गवाह पी.डब्ल्यू.1 व पी.डब्ल्यू.2 ने गलत बयान दिया है और पी.डब्ल्यू.1 ने लिखित तहरीर को गलत साबित किया गया है। अन्य औपचारिक साक्षीगण द्वारा गलत बयान देना कहते हुये अभियोजन प्रपत्रों को गलत साबित किया है। पी.डब्ल्यू.5 विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर उनके विरूद्ध गलत आरोपपत्र प्रेषित करना कहा है। आगे अभियुक्तगण ने यह भी कथन किया है कि वादी व उसके पुत्र ने हमसाज होकर षडयन्त्र के तहत झूठी गवाही दी है। मृतका के गलत व्यवहार के कारण उसके पिता व भाई द्वारा डांटने से क्षुब्ध होकर स्वयं आत्महत्या की है। वादी मुकदमा ने अवैध धन प्राप्त करने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया है।

**बचाव पक्ष** की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य में कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जिस प्रकार की घटना अभियोजन द्वारा होना बताया गया है, वैसी कोई घटना नहीं हुई है। अभियुक्तगण सुनील व रूपराम पर आरोपित मुख्य अपराध 304 बी भारतीय दण्ड विधान के आवश्यक तत्वों को अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के सभी साक्षीगण मृतका के परिवारीजन होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं और उनका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। तथ्य के साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास व विसंगतियां हैं। कथित घटना से पूर्व अतिरिक्त दहेज की मांग करने और उक्त मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने का कोई साक्ष्य अभियोजन साक्षीगण ने नहीं दिया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतका रूबी की हत्या किये जाने का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मृतका रूबी ने अपने पिता व भाई के डांटने से नाराज होकर स्वयं आत्महत्या की है। वादी मुकदमा ने अवैध धन प्राप्त करने के लिए यह झूठा मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त रूपराम से मृतका व उसका पति सुनील (अभियुक्त) शादी के तीन–चार महीने बाद ही अलग हो गये थे, इसलिए भी अभियुक्त रूपराम द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करने या उसे प्रताड़ित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही अभियुक्त रूपराम ने मृतका की दहेज हत्या या हत्या कारित की है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वे निर्दोष हैं। अभियेाजन, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

19. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा गंगाराम द्वारा थाना बछरायूँ में प्रस्तुत लिखित

तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मामले की विवेचना में विवेचक द्वारा संकलित पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के विरूद्ध आरोपपत्र अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड विधान एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में विचारण हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किया है। धारा 304–B भारतीय दण्ड संहिता के अपराध को आकर्षित करने के लिए जिन तत्वों को साबित किया जाना है, उन्हें अभियोजन प्रस्तुत साक्ष्य से बखूबी साबित करने में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त मृतका रूबी की मृत्यु अभियुक्त सुनील के घर स्थित काशीराम कालोनी, बछरायूँ में विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई है, इसलिए अभियुक्तगण यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य हैं कि मृतका की मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई और अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा की जायेगी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है और उनके साक्ष्य में जो छोटे–मोटे विरोधाभास व विसंगतियां आयी है, वे इतनी तुच्छ हैं कि उनके आधार पर तथ्य के साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य एवं सम्पूर्ण अभियोजन केस को नकारा नहीं जा सकता है। मात्र मृतका के रिश्तेदार/परिवारीजन होने के आधार पर तथ्य के दोनों साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है और उन्हें उक्त अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाये।

20. उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अब इस तथ्य का निर्धारण करना है कि क्या अभियोजन, अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के विरूद्ध अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह की सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है?

**<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में साक्ष्य का विवेचन</u>**

21. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 03/04.06.2022 की रात्रि अज्ञात बजे की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादी मुकदमा श्री गंगाराम द्वारा दिनांक 04.06.2022 को समय 12.16 बजे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और इस विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के सम्बन्ध में मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करना आवश्यक है। प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–क–11 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे पी.डब्ल्यू.6 महिला कां0 सोनी द्वारा अपने साक्ष्य से साबित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना दिनांक 03/04.06.2022 की रात्रि किसी समय की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा गंगाराम द्वारा दिनांक 04.06.2022 को समय 12.16 बजे अभियुक्तगण सुनील, रूपराम, गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू के विरूद्ध धारा 304–बी, 498–ए भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज करायी गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले की घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और घटना दिनांक 03/04.06.2022 की रात्रि किसी समय की है, जिसकी सूचना वादी मुकदमा

.....contd on page no.11

गंगाराम को दिनांक 04.06.2022 की सुबह 8.00 बजे फोन द्वारा प्राप्त होने पर वह व उसके परिवार वाले मृतका रूबी की ससुराल पहुंचे हैं। पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''अगले दिन सुबह 8.00 बजे किसी का फोन आया। उसने बताया कि रूबी खत्म हो गयी है। सूचना पर मैं और मेरे परिवार वाले रूबी की ससुराल पहुंचे।'' इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि ''मैं अपनी बेटी की ससुराल सुबह 9.00 बजे पहुंच गया था।'' आगे यह भी कथन किया कि "थाने पर तहरीर 11.00 बजे के बाद दी थी।'' इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि तहरीर पुलिस ने भी लिखवाई थी और अपनी मर्जी से भी लिखवाई थी। इस साक्षी के बयान के अनुसार घटना की सूचना पर उसके 9.00 बजे सुबह अपनी पुत्री रूबी (मृतका) के घर पहुंचने और वहां से थाना बछरायूँ पहुंचकर अपने लड़के बलवन्त से तहरीर लिखवाकर थाने पर देकर मुकदमा पंजीकृत कराने जो विलम्ब हुआ है वह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रस्तुत मामले में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि वादी मुकदमा की जवान पुत्री रूबी, जिसके एक बच्चा भी है, की दहेज मृत्यु कारित हुई है, इसलिए यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति की जवान पुत्री की दहेज मृत्यु कारित की जाये तब उस बाप की क्या स्थिति रही होगी। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये यदि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब हुआ है तो वह विलम्ब ऐसा नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक में किसी अतिरंजना की संभावना या किसी को झूठा फंसाये जाने की संभावना लेशमात्र भी हो सके। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

22. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम के विरूद्ध धारा 498-A, 304-B सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड विधान, विकल्प में धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप विरचित गये हैं, जो निम्नवत अधिनियमित हैंः-

**भारतीय दण्ड विधान की धारा 498-ए. किसी स्त्री के पति या पति के किसी नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना-** जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुये, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

**भारतीय दण्ड विधान की धारा 304-बी. दहेज मृत्यु-**(1). जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की मांग के लिए, या उसके सम्बन्ध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जायेगा और ऐसा पति या नातेदार, उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

(2). जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात

................P. T. O.

वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

**दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4.** यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति वधु या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह कारावास से छः मास से कम की नहीं होगी, किन्तु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

उपरोक्त धाराओं के पाठन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 498–ए भारतीय दण्ड विधान को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियोजन साबित करे कि किसी महिला का पति या पति का कोई रिश्तेदार उस महिला को क्रूरता के अधीन रखे। क्रूरता का तात्पर्य उपरोक्त धारा के प्रयोजन हेतु यह होगा कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर किया गया कोई आचरण, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो, जो उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, स्वास्थ्य या अंग के प्रति क्षति करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना रखता हो या किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरूद्ध मांग को पूरी करने के लिए उत्पीड़ित किया जाये या उस स्त्री से सम्बन्धित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरी करने में असफल रहने पर तंग किया जाये।

धारा 304–बी भारतीय दण्ड विधान के आवश्यक तत्व यह हैं कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त जलने अथवा दैहिक उपहति के कारण उसके विवाह के सात वर्ष के भीरत हुई हो और उस स्त्री की मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज की किसी मांग के कारण उस स्त्री के पति या पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता के अधीन रखा गया हो।

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कंसराज बनाम पंजाब राज्य व अन्य, ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 2324** एवं **हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 1 SCC पेज 463** के मामलों में भारतीय दण्ड विधान धारा 304–बी को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित अवयव बताये हैंः–

(i)– स्त्री की मृत्यु जलने से या शारीरिक उपहति से अथवा अस्वाभाविक रूप से असामान्य परिस्थितियों में हुई हो?

(ii)– यह मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर हुई हो?

(iii)– उस स्त्री के साथ उसके पति या उसके पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की गयी हो या प्रताड़ित किया गया हो?

(iv)– यह क्रूरता या उसे तंग करना, उसके पति अथवा नातेदार द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में की गयी हो?

(v)– ऐसी क्रूरता या प्रताड़ना उस स्त्री की मृत्यु के ठीक पूर्व की गयी हो?

यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर धारा 304–बी भारतीय दण्ड विधान को आकर्षित करने हेतु उपरोक्त वर्णित आवश्यक तत्व

.....contd on page no.13

साबित हो जाते हैं तो अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी) की उपधारणा न्यायालय करेगी।

**भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–113(बी)** निम्न प्रकार अधिनियमित है– जब किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे, उस व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी मांग के सम्बन्ध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण था।

**<u>अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य का विवेचन</u>**

**24.** उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं एवं उनमें उद्धत विधिक स्थिति व अवधारित मतों के प्रकाश में "दहेज मृत्यु'' के अपराध हेतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य की समीक्षा एवं विश्लेषण के आधार पर सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या मृतका रूबी की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से असामान्य परिस्थितियों में हुई है और यह मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है?

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उभय पक्ष द्वारा यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका रूबी की शादी अभियुक्त सुनील के साथ कथित घटना के दिनांक 04.06.2022 से लगभग दो वर्ष पूर्व हुई थी। पत्रावली पर मृतका रूबी की अभियुक्त सुनील से शादी होने का कार्ड भी कागज संख्या–47 भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार मृतका रूबी की शादी अभियुक्त सुनील के साथ दिनांक 10.12.2020 को होना अंकित है। इस सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम, जिसका बयान न्यायालय में दिनांक 17.10.2022 को हुआ है, ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि मृतका रूबी की शादी सुनील पुत्र रूपराम के साथ अब से करीब दो साल पहले हुई थी। इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह, जो मृतका का भाई है, ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट कथन किया है कि ''रूबी की शादी सुनील पुत्र रूपराम के साथ हुई थी। शादी दिसम्बर, 2020 में थी।'' अभियुक्त सुनील से मृतका रूबी की शादी दिसम्बर, 2020 में होने के तथ्य से बचाव पक्ष द्वारा इंकार नहीं किया गया है, बल्कि अभियुक्तगण ने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि मृतका रूबी की मृत्यु दिनांक 03/04.06.2022 की रात्रि में हुई है, अर्थात विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है। इस प्रकार मृतका श्रीमती रूबी की शादी अभियुक्त सुनील के साथ दिनांक 10.12.2020 को होने और उसकी मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर होने के तथ्यों पर बचाव पक्ष का कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त मृतका रूबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–क–8 में मृतका की मृत्यु का कारण Asphyxia due to hanging बताया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक रूप से सामान्य परिस्थितियों में हुई है। उक्त तथ्य का समर्थन पी .डब्ल्यू.4 डॉ0 मौ0 उवैश के साक्ष्य से भी होता है, जिन्होंने मृतका रूबी के शव का विच्छेदन किया और मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वयं के हस्तलेख व हस्ताक्षर में होना

................P. T. O.

कहते हुये उसे प्रदर्श–क–8 के रूप में साबित भी किया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि मृतका की मृत्यु लटकने के कारण दम घुटने से हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी.डब्ल्यू.4 से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है, जिसमें मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में होने सम्बन्धी कोई तथ्य सामने नहीं आया है। इस प्रकार मृतका रूबी की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में विवाह सम्पन्न होने के सात वर्ष के भीतर होना साबित होता है।

25. जहां तक मृतका रूबी के साथ अभियुक्तगण–पति सुनील या उसके पति सुनील के पिता रूपराम द्वारा क्रूरता या प्रताड़ना देने तथा यह क्रूरता या प्रताड़ना दोनों उक्त अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग के सम्बन्ध में किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण ने मृतका रूबी की अभियुक्त सुनील से शादी होने से पूर्व या शादी के समय कोई दहेज की मांग नहीं की है और शादी के तीन–चार महीने बाद ही अभियुक्त सुनील अपनी पत्नी रूबी (मृतका) की इच्छानुसार अपने पिता/अभियुक्त रूपराम से अलग हो गया था, इसलिए अभियुक्त सुनील द्वारा शादी के बाद मृतका को दहेज के लिए प्रताडित करना व दहेज हत्या करना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त रूपराम से मृतका व उसके पति के अलग होने के उपरान्त अभियुक्त रूपराम द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करने या उसे प्रताड़ित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न ही अभियुक्त रूपराम ने मृतका की दहेज हत्या या हत्या कारित की है। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। उपरोक्त तथ्य अभियोजन केस को संदिग्ध बनाते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन की ओर से भारतीय दण्ड विधान धारा 304–बी के अपराध को आकर्षित करने सम्बन्धी अवयव सं0–3 व 4 को साबित करने के लिए तथ्य के दो साक्षी पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम, जो मृतका के पिता व वादी मुकदमा है, एवं पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह, जो मृतका का भाई है, को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये अभियुक्तगण सुनील (पति) व रूपराम (ससुर) के साथ–साथ इनके अन्य परिवारीजन जेठ राजेन्द्र, जेठानी मीनू, जेठ जितेन्द्र के विरूद्ध सामान्य आरोप लगाये गये हैं तथा कथन किया गया कि ''रूबी के पति सुनील, ससुर रूपराम, जेठानी मीनू, जेठ राजेन्द्र, जेठ जितेन्द्र दहेज में दो लाख रूपये नकद और मोटर साईकिल की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उपरोक्त लोग रूबी के साथ मारपीट करते थे और प्रताड़ित करते थे।'' आगे यह भी कथन किया कि ''मेरी पुत्री रूबी की हत्या दहेज की खातिर सुनील, रूपराम, गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू ने मिलकर की है।......मैंने अपनी लड़की का अन्तिम संस्कार किया था। उसकी ससुराल से कोई भी अन्तिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ।'' इसी प्रकार का कथन अपनी मुख्य परीक्षा में पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी किया है और अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के साथ–साथ प्राथमिकी में

.....contd on page no.15

नामित अन्य अभियुक्तगण गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू के विरूद्ध भी सामान्य आरोप लगाये गये हैं।

**26.** यहां पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि प्रस्तुत मामले में केवल अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के विरूद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये सम्बन्धित न्यायालय में आरोपपत्र प्रदर्श –क–10 प्रेषित किये जाने के उपरान्त उनका विचारण उपरोक्त अपराध धाराओं में किया गया है। शेष नामित अभियुक्तगण गजेन्द्र, जितेन्द्र व मीनू की नामजदगी विवेचना में गलत पायी गयी और उनके नाम विवेचना में पृथक किये गये। पी.डब्ल्यू.1 वादी गंगाराम व पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह के साक्ष्य के उपरान्त वादी मुकदमा गंगाराम ने नामित अभियुक्तगण जितेन्द्र, गजेन्द्र व मीनू को विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र 10 बी प्रस्तुत किया था, जिसे इस न्यायालय ने आदेश दिनांकित 28.04.2023 के द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश को कोई चुनौती अपीलीय न्यायालय में न दिये जाने के कारण आदेश दिनांकित 28.04.2023 अभी भी प्रभावी है, इसलिए प्रस्तुत मामले में केवल अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के सम्बन्ध में विवेचन किया जा रहा है।

**27.** पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी स्पष्ट कथन किया कि '' **दिनांक 03.06.2022 की शाम को मेरी बेटी रूबी से मेरी बात हुई कि उसे उसकी ससुराल वाले तंग कर रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि सुबह आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह 8 बजे किसी का फोन आया। उसने बताया कि रूबी खत्म हो गयी है।''** इसी प्रकार पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि ''मेरी बहन रूबी जब अपने मायके आती थी तब वह दहेज मांगने वाली बात बताती थी।'' पी.डब्ल्यू.2 ने आगे यह भी कहा कि **''मरने से दो दिन पहले भी उसने फोन पर बताया कि उसकी ससुराल वाले दहेज न मिलने के कारण जान से मारने की धमकी देते हैं। मुझे 04.06.2022 को सुबह 8.00 बजे के करीब रूबी की मृत्यु की सूचना मिली। किसी ने फोन करके बताया था। सूचना पर मैं और मेरे परिवार वाले वहां पहुंचे थे। जब हम पहुंचे तो रूबी की dead body डबल बैड पर पड़ी हुई थी। उसके ससुराल वाला वहां कोई नहीं था।''**

पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम एवं पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 पर यह कथन किया है कि–

> ''जब हम पहुंचे तो रूबी का शव बैड पर पड़ा हुआ था। बैठ के अलावा कमरे में कोई और चारपाई नहीं थी। बाहर चारपाई थी। मैंने रूबी के शरीर पर चोट के निशान नहीं देखे थे, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान थे।''

पी.डब्ल्यू.1 ने इसी पृष्ठ पर आगे यह भी कथन किया कि–

> **''रूबी ने आखिरी बार मुझसे 03 तारीख की शाम को 8.00–8.30 बजे**

................P. T. O.

**बात की थी।** रूबी ने फोन पर नमस्ते की थी। मेरे अलावा मेरी पोती से रूबी ने बात की थी। रूबी ने जिस नम्बर से कॉल की थी, वह नम्बर मैं नहीं जानता।.......जब रूबी ने बात करी थी तब सुनील वहीं मौजूद थे। मैंने उस वक्त सुनील से बात की थी। सुनील ने मुझसे नमस्ते की थी। राजी–खुशी के बारे में मेरी बेटी से बात हुई थी। सुनील ने बाद में बात की थी। उस समय तक मेरी बेटी ने कोई राज नहीं दिया। **यह कहा कि मुझे परेशान करते हैं। मैंने कहा कि मैं सुबह आ जाऊंगा।''**

गवाह पी.डब्ल्यू.1 ने आगे यह भी स्पष्ट कथन किया है कि–

**''शादी के पहले सुनील एवं उसके परिवार वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। बाद में की थी। शादी के दो–तीन महीने बाद ही सुनील व रूपराम ने दहेज की मांग की थी''**

इसी प्रकार का कथन पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–3 पर किया है, जिसमें उसने यह स्पष्ट कहा है कि–

**''रिश्ता होने व शादी होने तक सुनील व उसके परिवार वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। शादी के बाद की थी।''**

गवाह पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–6 पर यह भी स्पष्ट कथन किया है कि–

**''शादी के तीन–चार महीने बाद सुनील न्यारे (अलग) हो गये थे। सुनील का बाकी परिवार मौहल्ला वकाबाद में रहता था। शादी वकाबाद में हुई थी। सुनील के पिता मेरी ही उम्र के हैं। रूबी, सुनील के साथ काशीराम कालोनी में लगभग तीन–चार महीने से रह रही थी।''**

इसी प्रकार का कथन पी.डब्ल्यू.2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 पर किया है और स्पष्ट रूप से कहा है कि–

**''पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मैंने यह बयान दिया था कि रूबी अपने पति के साथ काशीराम कालोनी में रहती थी। यह बयान भी दिया था कि उसकी ससुराल वाले मौ0 वकाबाद, बछरायूँ में रहते हैं।''**

पी.डब्ल्यू.1 ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–6 पर ही आगे यह भी कथन किया कि–

''मैंने घटना से पहले दहेज मांगने की कोई शिकायत किसी पुलिस अधिकारी को नहीं की थी। केवल समझाते रहे। ......जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तब सुनील वहां नहीं था। अब सुनील के घर काशीराम कालोनी में कौन–कौन रह रहा है, मुझे नहीं पता। मैं घटना के बाद वहां नहीं गया।''

पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी पृष्ठ–5 पर अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि–

''हमने रूबी की ससुराल वालों द्वारा दहेज की खातिर मारपीट करने

.....contd on page no.17

पर पुलिस में शिकायत नहीं की थी। घर का मामला था। कई बार उन्हें समझाया था।''

पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के अन्त में यह भी कथन किया है कि–

**''यह कहना सही है कि रूबी की मौत से पहले दहेज की मांग की गयी थी।'**

पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–6 पर यह भी कथन किया है कि–

''शादी के छः–सात महीने बाद ही दहेज की मांग शुरू कर दी थी। जब हम गये थे तब रूबी का शव बैड पर पड़ा हुआ था। **उसके शरीर पर हल्की चोट के निशान थे। रूबी से सुनील, बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद की मांग करते थे। हमने शादी में कोई मोटर साईकिल नहीं दी थी।**''

पी.डब्ल्यू.2 ने इसी पृष्ठ पर आगे यह भी स्पष्ट कथन किया है कि–

**''घटना से पन्द्रह दिन पहले सुनील मेरे घर रूबी को लेने आये। सुनील ने मुझसे दहेज मांगा था। हम नहीं दे पाये थे।''**

**28.** इस प्रकार पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम एवं पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह के सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि मृतका रूबी की शादी के समय अथवा शादी से पूर्व रिश्ते के समय अभियुक्तगण द्वारा मृतका रूबी या उसके परिजनों से दहेज की कोई मांग नहीं की गयी। पी.डब्ल्यू.1 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि शादी के तीन–चार महीने बाद अभियुक्त सुनील और उसकी पत्नी/मृतका रूबी, अभियुक्त रूपराम से अलग हो गये और काशीराम कालोनी में जाकर रहने लगे। पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी उक्त तथ्य का समर्थन करते हुये यह स्पष्ट कथन किया कि रूबी से सुनील बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद मांगा करते थे और यह भी कहा कि घटना से पन्द्रह दिन पहले सुनील जब रूबी को लेने आये तब इस साक्षी से दहेज मांगा था। पी.डब्ल्यू.2 के साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि शादी के छः–सात महीने बाद दहेज की मांग शुरू कर दी थी, जबकि पी.डब्ल्यू.1 के बयान के अनुसार मृतका रूबी व अभियुक्त सुनील, शादी के तीन–चार महीने बाद ही रूपराम से अलग होकर काशीराम कालोनी में जाकर रहने लगे थे। ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त रूपराम मृतका रूबी व उसके पति/अभियुक्त सुनील के साथ रह ही नहीं रहा था , बल्कि अपने अन्य परिवारीजन के साथ मौहल्ला वकाबाद में रह रहा था तब उसके द्वारा मृतका से दहेज में दो लाख रूपये नकद व मोटर साईकिल की मांग करना और उक्त मांग हेतु मृतका को प्रताड़ित किया जाना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। पी.डब्ल्यू.2 के साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि मृतका रूबी से कथित दहेज की मांग केवल अभियुक्त सुनील द्वारा की गयी थी। यद्यपि पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ–6 पर केवल एक स्थान पर यह कहा है कि शादी के दो–तीन महीने बाद सुनील व रूपराम ने दहेज की मांग की थी, परन्तु पी.डब्ल्यू.1 व पी.डबल्यू.2 की सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त रूपराम के द्वारा दहेज की मांग करने सम्बन्धी कोई तथ्य नहीं आया है, बल्कि तथ्य के दोनों साक्षीगण ने मृतका रूबी को केवल अभियुक्त सुनील के साथ काशीराम कालोनी में रहना और अभियुक्त रूपराम को

अन्य परिवारीन के साथ मौ0 वकाबाद में रहना कहा है। पी.डब्ल्यू.1 के बयान में उक्त तथ्य बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की तीखी जिरह से नर्वस होने एवं समय का सही अनुमान न लगा पाने के कारण आना प्रतीत होता है, जिसका कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन केस पर नहीं पड़ता है। पी.डब्ल्यू.1 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि जब मृतका रूबी द्वारा अपने पिता यानि पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम से फोन पर दिनांक 03.06.2022 की रात्रि आठ–साढ़े आठ बजे बात की गयी तब वहां केवल अभियुक्त सुनील मौजूद था और मृतका रूबी ने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में सुनील द्वारा उसे परेशान करना कहा है। इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम एवं पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह के उपरोक्त साक्ष्य से यह तो साबित है कि मृतका रूबी से उसके पति/अभियुक्त सुनील द्वारा अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन एवं दो लाख रूपये नकद की मांग की गयी और उक्त मांग के सम्बन्ध में अभियुक्त सुनील द्वारा ही मृतका रूबी को परेशान व प्रताड़ित किया गया है, परन्तु अभियुक्त रूपराम द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करना और दहेज में लिए उसे प्रताड़ित किया जाना साबित नहीं होता है। इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य से मृत्यु से पहले विवाहिता रूबी के पति/अभियुक्त सुनील द्वारा मृतका को प्रताड़ित कर परेशान किये जाने का तथ्य भी साबित है।

**29.** यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण सुनील एवं रूपराम के विरूद्ध धारा 498ए, 304बी सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान एवं विकल्प में धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप लगाये गये हैं, परन्तु अब तक की विवेचना से मात्र अभियुक्त सुनील के विरूद्ध आरोपित मुख्य आरोप अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड विधान व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री से साबित होते हैं। अतः धारा 34 भारतीय दण्ड विधान की प्रयोज्यता प्रस्तुत मामले में नहीं रह जाती है।

**30.** अब अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह अवधारित किया जाना है कि क्या मृतका के प्रति क्रूरता या प्रताड़ना, उसकी मृत्यु से ठीक पहले अभियुक्त सुनील द्वारा की जा रही थी? बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अभियोजन की बात मान भी ली जाये तो अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि दहेज के सम्बन्ध में मृतका के प्रति क्रूरता या प्रताड़ना उसकी मृत्यु के ठीक पहले की गयी थी, क्योंकि कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और मृतका द्वारा कथित प्रताड़ना के सम्बन्ध में फोन पर बात किये जाने सम्बन्धी कोई कॉल डिटेल प्रस्तुत नहीं की गयी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में अब यह देखा जाना है कि "**मृत्यु से ठीक पहले**" का तात्पर्य क्या है, क्योंकि ''मृत्यु से ठीक पहले'' कहीं भी परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में समझना होगा। उपरोक्त विधि व्यवस्था **कंसराज बनाम पंजाब राज्य के मामले का पैरा नम्बर–14**

.....contd on page no.19

**व 15** प्रस्तुत सत्र परीक्षण में उक्त बिन्दु के निस्तारण के लिए सुसंगत है, जो निम्नवत है–

''14. It is further contended on behalf of the respondents that the statements of the deceased referred to the instances could not be termed to be cruelty or harassment by the husband soon before her death. "Soon before" is a relative term which is required to be considered under specific circumstances of each case and no straight jacket formula can be laid down by fixing any time limit. This expression is pregnant with the idea of proximity test. The term "soon before" is not synonymous with the term "immediately before" and is opposite of the expression "soon after" as used and understood in Section 114, Illustration (a) of the Evidence Act. These words would imply that the interval should not be too long between the time of making the statement and the death. It contemplates the reasonable time which, as earlier noticed, has to be understood and determined under the peculiar circumstances of each case. In relation to dowry deaths, the circumstances showing the existence of cruelty or harassment to the deceased are not restricted to a particular instance but normally refer to a course of conduct. Such conduct may be spread over a period of time. If the cruelty or harassment or demand for dowry is shown to have persisted, it shall be deemed to be 'soon before death' if any other intervening circumstance showing the non existence of such treatment is not brought on record, before the alleged such treatment and the date of death. It does not, however, mean that such time can be stretched to any period. Proximate and live link between the effect of cruelty based on dowry demand and the consequential death is required to be proved by the prosecution. The demand of dowry, cruelty or harassment based upon such demand and the date of death should not be too remote in time which, under the circumstances, be treated as having become stale enough.

15. No presumption under Section 113B of the Evidence Act would be drawn against the accused if it is shown that after the alleged demand, cruelty or harassment the dispute

................P. T. O.

stood resolved and there was no evidence of cruelty, and harassment thereafter. Mere lapse of some time by itself would not provide to an accused a defence, if the course of conduct relating to cruelty or harassment in connection with the dowry demand is shown to have existed earlier in time not too late and not too stale before the date of death of the woman. The reliance placed by the learned counsel for the respondents on Sham Lal v. State of Haryana [1997 (9) SCC 579] is of no help to them, as in that case the evidence was brought on record to show that attempt had been made to patch up between the two sides for which Panchayat was held in which it was resolved that the deceased would go back to the nuptial home pursuant to which she was taken by the husband to his house. Such a Panchayat was shown to have held about 10 to 15 days prior to the occurrence of the case. There was nothing on record to show that the deceased was either treated with cruelty or harassed with the demand of dowry during the period between her having taken to the nuptial home and her tragic end. Such is not the position in the instant case as the continuous harassment to the deceased is never shown to have settled or resolved.''

निर्णय विधि **Heera Lal Vs. State of NCT AIR 2003 SC पेज 2865** के उपरोक्त मामले का पैरा–9 भी इस बिन्दु के लिए सुसंगत है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि–

''9. A conjoint reading of Section 113–B of the Evidence Act and Section 304–B IPC shows that there must be material to show that soon before her death the victim was subjected to cruelty or harassment. Prosecution has to rule out the possibility of a natural or accidental death so as to bring it within the purview of the 'death occurring otherwise than in normal circumstances'. The expression 'soon before' is very relevant where Section 113–B of the Evidence Act and Section 304–B IPC are pressed into service. Prosecution is obliged to show that soon before the occurrence there was cruelty or harassment and only in that case presumption operates. Evidence in that regard has to be led by prosecution. 'Soon before' is a relative term and it would depend upon circumstances of each case and no strait–jacket formula

.....contd on page no.21

can be laid down as to what would constitute a period of soon before the occurrence. It would be hazardous to indicate any fixed period, and that brings in the importance of a proximity test both for the proof of an offence of dowry death as well as for raising a presumption under Section 113–B of the Evidence Act. The expression 'soon before her death' used in the substantive Section 304–B IPC and Section 113–B of the Evidence Act is present with the idea of proximity test. No definite period has been indicated and the expression 'soon before' is not defined. A reference to expression 'soon before' used in Section 114. Illustration (a) of the Evidence Act is relevant. It lays down that a Court may presume that a man who is in the possession of goods 'soon after the theft, is either the thief has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession. The determination of the period which can come within the term 'soon before' is left to be determined by the Courts, depending upon facts and circumstances of each case. Suffice, however, to indicate that the expression 'soon before' would normally imply that the interval should not be much between the concerned cruelty or harassment and the death in question. There must be existence of a proximate and live–link between the effect of cruelty based on dowry demand and the concerned death. If alleged incident of cruelty is remote in time and has become stale enough not to disturb mental equilibrium of the woman concerned, it would be of no consequence.''

इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्चतम न्यायालय ने Kunhiabdulla and another Vs. State of Kerala, AIR 2004 SC पेज 1731 में भी अवधारित किया है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट कर दिया गया कि ''मृत्यु के ठीक पहले'' को परिभाषित नहीं किया जा सकता और इसके सम्बन्ध में कोई फार्मूला भी नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके निर्धारण हेतु प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखना होगा, अर्थात ''मृत्यु से ठीक पहले'' का निर्धारण करने में न्यायालय को प्रश्नगत मामले के विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा।

**31.** प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये

................P. T. O.

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के दोनों साक्षियों के उपरोक्त साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सुनील से मृतका रूबी का विवाह दिनांक 10.12.2020 को हुआ और विवाह के तीन–चार महीने बाद सुनील अलग होकर मृतका रूबी के साथ काशीराम कालोनी, बछरायूँ में रहने लगा और उसका बाकी परिवार मौहल्ला वकाबाद, बछरायूँ में रहता है। साक्षी पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम के बयान के अनुसार मृतका रूबी ने आखिरी बार उससे तीन तारीख (03.06.2022) की शाम को 8.00–8.30 बजे बात की थी। जब उसकी लड़की रूबी ने बात करी थी तब सुनील वहीं मौजूद था। उसने उस वक्त सुनील से बात की थी। राजी–खुशी के बारे में बेटी से बात हुई थी। उस समय उसकी बेटी ने कोई राज नहीं दिया, यह कहा कि उसे परेशान करते हैं। इस प्रकार मृतका रूबी द्वारा घटना वाली रात्रि अपने पिता को फोन करके अभियुक्त सुनील द्वारा परेशान करने वाली बात बतायी गयी है। पी.डब्ल्यू.1 ने यह भी कहा है कि जब उसकी बेटी ने बात की तब सुनील वहीं था। इससे यही दर्शित होता है कि मृतका रूबी, अभियुक्त सुनील के डर की वजह से सारी बाते खुलकर अपने पिता को नहीं बता सकी होगी, इसलिए उसने परेशान करना कहकर अपने पिता को इशारा दिया, जिसके उपरान्त पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी पुत्री रूबी को आश्वस्त कराया कि वह सुबह को आ जायेगा। पी.डब्ल्यू.1 ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट कथन किया है कि मृतका रूबी से आखिरी बार बात होने की कोई रिकार्डिंग उसके पास नहीं है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा इस साक्षी से नहीं की गयी और न ही यह स्पष्ट कराया गया कि पी.डब्ल्यू.1 वादी से जिस फोन पर मृतका की बात हुई, क्या उस फोन में रिकार्डिंग उपलब्ध थी अथवा नहीं, इसलिए कथित बातचीत की कोई रिकार्डिंग होना अथवा न होना प्रस्तुत मामले के घातक नहीं है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृत्यु से ठीक पहले प्रताड़ित किये जाने के तथ्य पर भी कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है और न ही यह स्पष्ट कराया जा सका कि मृतका की मृत्यु दिनांक 03.06.2022 की रात्रि अथवा 04.06.2022 की प्रातः में किस समय हुई। इसके अतिरिक्त पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट कथन किया है कि जब वह रूबी की घर गया तो रूबी का शव बैड पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर हल्की चोट के निशान थे। पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में मृतका के शरीर पर चोट के निशान होना कहा है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–क–8 एवं मृतका के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ0 मौ0 उवैश पी.डब्ल्यू.4 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर बायीं पलक पर खुरसट का निशान था तथा गर्दन पर लिगेचर मार्क था। पी.डब्ल्यू.4 ने अपनी जिरह में कहा है कि पलक पर जो चोट थी वह खुरसट की थी। मृतका को उतारते हुये यह चोट नहीं आयी थी, यह चोट मरने से पहले की है। कितने पहले की है, यह नहीं बता सकता। पी.डब्ल्यू.4 के उपरोक्त साक्ष्य से भी अभियुक्त सुनील द्वारा मृतका को मृत्यु के ठीक पूर्व प्रताड़ित करने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि मृतका रूबी को उसकी मृत्यु से पहले तक

.....contd on page no.23

अभियुक्त सुनील द्वारा दहेज की खातिर प्रताड़ित किया जाता रहा है और उसे क्रूरता के अधीन रखा गया है।

32. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोजन भारतीय दण्ड विधान की धारा 304 बी के आवश्यक घटकों को अभियुक्त सुनील के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, इसलिए अभियुक्त सुनील के विरूद्ध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113(बी) की उपधारणा की जा सकती है। अब देखना यह है कि अभियुक्त सुनील ने अपने विरूद्ध की गयी धारा 113(बी) की उपधारणा को किस प्रकार खण्डित (Negate) किया है? इसे साबित करने का भार बचाव पक्ष पर है कि मृतका रूबी की मृत्यृ दहेज मृत्यु नहीं थी। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विशेष जोर देकर यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका के गलत व्यवहार के कारण उसके पिता (पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम) व भाई द्वारा डांटने से नाराज होकर स्वयं आत्महत्या की है और वादी मुकदमा ने अवैध धन प्राप्त करने के लिए यह झूठा मुकदमा किया है। इसके अतिरिक्त तथ्य के साक्षीगण पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम व पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि शादी से पहले सुनील एवं उसके परिवार वालों ने दहेज की कोई मांग नहीं की थी और उन्होंने घटना से पहले दहेज मांगने की कोई शिकायत पुलिस अधिकारियों को नहीं की थी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के उपरोक्त विवेचना में यह सही पाया गया कि अभियुक्त सुनील एवं उसके परिवारीजन द्वारा शादी के पहले मृतका या उसके परिवार वालों से दहेज की कोई मांग नहीं की गयी, परन्तु जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य से यह साबित हो चुका है कि शादी के छः–सात महीने बाद से अभियुक्त सुनील ने मृतका से अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद की मांग की और मृतका की मृत्यु से पूर्व तक उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है। जहां तक मृतका द्वारा अपने पिता व भाई के डांटने पर आत्महत्या करने का प्रश्न है तो यह तथ्य अभियुक्त द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कहा गया है, परन्तु उक्त तथ्य के समर्थन में बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि मृतका ने स्वयं आत्महत्या की है, जबकि इसके विपरीत अभियोजन ने अभियुक्त सुनील के विरूद्ध अपना केस मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य से साबित किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा मृतका रूबी की मृत्यु कोई सूचना मृतका के पिता अथवा अन्य परिजनों को नहीं दी गयी है और न ही थाने पर कोई सूचना दी गयी है, जबकि अभियुक्त सुनील का यह दायित्व था कि वह घटना के सम्बन्ध में सूचना सर्वप्रथम मृतका के मायके वालों को देता। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है और बचाव पक्ष की ओर से उक्त उपधारणा के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा113(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त सुनील द्वारा मृतका रूबी की दहेज हत्या किये जाने की उपधारणा की जायेगी।

................P. T. O.

33. इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय का ध्यान तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण के साक्ष्य में आये विरोधाभासों की ओर भी आकृष्ट कराया गया है, जैसा कि पी.डब्ल्यू.1 ने प्रतिपरीक्षा के साक्ष्य में शादी के तीन–चार महीने बाद दहेज मांगने वाली बात कही है और पी.डब्ल्यू.2 ने छः–सात महीने बाद दहेज मांगने की बात कही है। पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सुनील व रूपराम, दोनों के द्वारा दहेज मांगने की बात कही है। उपरोक्त दोनों तथ्य के साक्षीगण के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त सुनील द्वारा दहेज की मांग की गयी है और पी.डब्ल्यू.1 द्वारा जो दोनों अभियुक्तगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात कही गयी है, वह सामान्य अनुक्रम में कही गयी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में उनके द्वारा अभियुक्तगण सुनील व रूपराम के साथ–साथ अन्य नामित अभियुक्तगण द्वारा भी सामान्य आरोप लगाते हुये दहेज मांगने का कथन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निर्णय में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। कोई भी अभियोजन मामला पूरे तौर पर ऐसा नहीं हो सकता है, जिसमें कोई त्रुटि न हो और साक्षीगण जिस प्रकार घटना घटित हुई हो, उसका अक्षरशः वर्णन अपने बयान में कर पाते हों, परन्तु न्यायालय को ऐसे मामले में मात्र यह देखना होता है कि ऐसे मामले में जो त्रुटियां/कमियां हुई हैं, वे त्रुटियां/कमियां अभियोजन के मूल कथानक को प्रभावित करने वाली हैं अथवा नहीं। वास्तव में साक्षियों के साक्ष्य में यदि छोटी–मोटी विसंगतियां हैं तो यह अभियोजन कथानक की सत्यता की गारंटी भी हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का घटना को देखने का दृष्टिकोण, समझने व याद रखने की क्षमता और उन घटनाओं के बारे में प्रतिक्रिया अलग–अलग होती है।

**विधि व्यवस्था सचिन कुमार सिंघराला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2019) 8 SCC 371** माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि–

"Court will have to evaluate the statement and evidence before keeping in mind the rustic nature of deposition of the villagers who may not depose about exact geographical location with mathematical precision. Discrepancies which do not go to the root of the matter do not otherwise obliterate otherwise accepted evidence. It is now well settled that minor variations should not be taken into consideration while assessing the reliability of the testimony of the witness and consistency of prosecution as a whole. No prosecution case is full proof and the same is bound to suffer from some lacuna or the other, then court will have to see whether the shortcomings are of such a nature that it is going to the root of prosecution case, then only it shall be considered otherwise not."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **निर्णय विधि भारवदा भोगनिभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 3 SCR पेज 280** पर मत व्यक्त किया गया है और इस विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि

.....contd on page no.25

यदि साक्षीगण के बयान में आये विरोधाभास अभियोजन केस के मूल तत्व को प्रभावित नहीं करते हैं तो उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए।

**माननीय उच्चतम न्यायालय एक अन्य निर्णय विधि सोहराव बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1972 (SC) 2020** में व्यवस्था दी गयी है, जिसमें कहा गया है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि ''एक झूठ सब झूठ'' का सिद्धान्त भारत में दाण्डिक न्याय शास्त्र में लागू नहीं होता है। सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य 2001 एस०सी०सी० (क्रिमिनल) 1416 में यह व्यवस्था दी गयी है कि शायद ही ऐसा कोई गवाह मिलेगा, जिसके बयानों में अतिश्योक्ति या नमक –मिर्च लगाने वाली बात न मिलें।

**34.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के दोनों साक्षी पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम और पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह, मृतका के पिता व भाई होने के कारण हितबद्ध साक्षी हैं, इसलिए उनका साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। इस तथ्य को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के आलोक में विशेष रूप से देखा जाना है कि क्या उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य में किसी प्रकार की कोई कमी है अथवा उनका साक्ष्य अभियोजन के मूल कथानक व स्वरूप के सम्पोषण व तारतम्य में है और उनके साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है अथवा नहीं। उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्यायिक विधि व्यवस्थाओं का संदर्भ लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या पारिवारिक व निकट सम्बन्धी साक्षियों की साक्ष्य को ग्रहण करने में कोई वर्जना है?

परिवारीजन/ रिश्तेदार साक्षी की साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **निर्णय विधि हरियाणा राज्य बनाम हाकम सिंह, ए.आई.आर. 1980 पेज 184** पर अवधारित किया गया कि '*'गवाह के निकट सम्बन्धी होने तथा एक ही परिवार में रहने के कारण उस गवाह को हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जायेगा, बल्कि वह प्राकृतिक साक्षी है।'*'

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra, 2016(97) ACC 410(SC)** में अवधारित किया गया कि–

> *"किसी आपराधिक विचारण के मामले में साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि वह साक्षी मृतक या चुटैल व्यक्ति का करीबी नातेदार/रिश्तेदार है। ऐसे मामले में एकमात्र सावधानी अपेक्षित है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को अपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और यदि ऐसे साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय और न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने वाला है तो उसके साक्ष्य पर दोषसिद्धि किये जाने में कोई वर्जना नहीं है।''*

इसी प्रकार **निर्णय विधि दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1953 सुप्रीम कोर्ट पेज 364** पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि "यदि साक्षी की अभियुक्त को झूठा फंसाने के लिए कोई दुश्मनी नहीं है तो ऐसे स्वतंत्र साक्षी माने जाऐंगे और निकट रिश्तेदार वह अन्तिम व्यक्ति

................P. T. O.

होगा, जो वास्तविक अपराधी को बचाकर निर्दोष व्यक्ति को फंसाने का प्रयास करेगा।''

**35.** उपरोक्त विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम और पी.डब्ल्यू.3 बलवन्त सिंह के साक्ष्य का अवलोकन किया, परन्तु उपरोक्त किसी भी साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उनकी अभियुक्त सुनील से कोई पूर्व दुश्मनी या रंजिश रही हो, बल्कि अभियुक्त सुनील भी उनका रिश्तेदार है। पी.डब्ल्यू.2 के साक्ष्य में यह तथ्य भी आया है कि मृतका रूबी के एक लड़का है, जो इस समय उनकी बहन सरिता के पास है, इसलिए भी वे अभियुक्त सुनील, जोकि मृतका के लड़के का पिता है, को झूठा फंसाने के लिए उसके विरूद्ध न्यायालय में साक्ष्य क्यों देंगे। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इन साक्षीगण से अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने के तथ्य के सम्बन्ध में कोई प्रतिपरीक्षा भी नहीं की गयी है, इसलिए भी उपरोक्त साक्षीगण के मृतका के परिवारीजन होने मात्र के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि उनके साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी से किये जाने की आवश्यकता है। जैसा कि निर्णय में ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि तथ्य के उपरोक्त दोनों साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सुनील द्वारा मृतका रूबी से विवाह के कुछ महीने पश्चात से अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद की मांग की है और इस हेतु मृतका को प्रताड़ित किया गया और अन्त में उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है।

**<u>विवेचना सम्बन्धी साक्ष्य का विवेचनः–</u>**

**36.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का एक तर्क यह भी है कि मामले में त्रुटिपूर्ण विवेचना हुई है, क्योंकि विवेचक द्वारा मृतका की हत्या किये जाने सम्बन्धी कोई रस्सी या अन्य सामान बरामद नहीं किया गया है और न ही कथित घटना से पूर्व मृतका द्वारा अपने पिता से बात किये जाने सम्बन्धी कोई कॉल डिटेल प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत मामले की विवेचना सी.ओ. श्री अरूण कुमार सिंह के द्वारा की गयी, जिन्हें पी.डब्ल्यू.5 के रूप में पेश किया गया है। पी.डब्ल्यू.5 ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–5 पर कथन किया कि "वादी ने मुझे कोई मोबाईल नम्बर नहीं दिया था, जिससे उसकी पुत्री की बात हुई थी।" पी.डब्ल्यू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ–4 पर यह कथन किया है कि "रूबी ने जिस नम्बर से कॉल की थी, वह नम्बर मैं नहीं जानता।" ऐसी स्थिति में विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के नम्बर की कॉल डिटेल निकलवाया जाना आवश्यक था, परन्तु पी.डब्ल्यू.5 से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है। यदि विवेचक द्वारा कोई कॉल डिटेल नहीं निकलवायी गयी है, तो यह विवेचना की त्रुटि है, जिसका अभियोजन केस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यह न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाती है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषपूर्ण विवेचना के सम्बन्ध में विधि को अपने विभिन्न विधिक दृष्टान्तों में स्पष्ट करते हुये यह अवधारित किया है कि मात्र दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियोजन के समस्त कथानक को त्यक्त

.....contd on page no.25

नहीं किया जा सकता है, यदि अभियोजन ने अपने मामले को तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से साबित किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **कर्नाटक राज्य बनाम के. चरप्पा रडडी, 2000(1) जे०आई०सी० 5, अल्ला रक्खा वी. मंसूरी बनाम गुजरात राज्य 2002 क्रिमनल लॉ जरनल 1489, रोहताश बनाम राजस्थान राज्य 2007 क्रिमनल लॉ जरनल 758** में यह अवधारित किया गया है कि "यदि एक विवेचक द्वारा विवेचना में त्रुटि कारित की गयी है तब भी तथ्य के अन्यथा विश्वसनी साक्ष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है और केवल इस आधार पर कि विवेचक ने विवेचना करने में प्रमादपूर्ण रवैया अपनाया है, अभियुक्तगण को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।" **निर्णय विधि पंजाब राज्य बनाम हाकम सिंह, 2005(7) SCC 408 तथा धनज सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2004) 3 SCC पेज 654** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यदि अन्यथा अभियोजन केस साबित है तो विवेचना में त्रुटि अभियोजन केस की विश्वसनीयता को समाप्त नहीं कर सकती है।

37. बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा मृतका रूबी को गला दबाकर मार देना कहा है, जबकि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण Asphyxia due to hanging बताया गया है। यह एक गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन केस को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पी.डब्ल्यू.1 वादी गंगाराम ने यह नहीं देखा है कि मृतका को कैसे मारा गया और न ही वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह ने भी घटना होते देखना नहीं कहा है। मृतका की गला दबाकर हो या फांसी लगाकर, दोनों ही परिस्थितियों में मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है, इसलिए इसका कोई दुष्परिणाम अभियोजन के केस पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्ति चूंकि प्राथमिकी "शब्दकोष'' (encyclopedia) नहीं होती है, बल्कि उसका उददेश्य मात्र आपराधिक न्याय प्रणाली को गतिशील करना होता है, इसलिए भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में मृतका की मृत्यु होने के सम्बन्ध में किये गये उपरोक्त उल्लेख के आधार पर अभियोजन के सम्पूर्ण केस को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त सुनील का इस प्रकार का कोई केस नहीं है कि मृतका रूबी की मृत्यु के समय वह घर पर न रहे हों, बल्कि कहीं अन्यत्र गया हो। कथित घटना में मृतका रूबी की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न अभियुक्त के घर के अन्दर हुई है। जैसा कि मृतका के पंचायतनामा प्रदर्श–क–3 एवं उसे तैयार करने वाले साक्षी पी.डब्ल्यू.3 अजीत कुमार के बयान से स्पष्ट है कि मृतका का शव काशीराम कालोनी, कस्बा बछरायूँ में मकान नं0–186 में पड़ा था, जहां मृतका का पंचायतनामा व उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख तैयार किये गये है। नक्शा नजरी प्रदर्श–क–9 के अनुसार भी घटना स्थल मकान नं0–186 का कमरा अक्षर ''X'' से दर्शाया गया है, जो काशीराम कालोनी, बछरायूँ में स्थित है। पी.डब्ल्यू.1 गंगाराम व पी.डब्ल्यू.2 बलवन्त सिंह के बयान के अनुसार भी मृतका का शव काशीराम कालोनी, बछरायूँ में बैड पर पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में जब मृतका रूबी की

................P. T. O.

मृत्यु अभियुक्त के घर में हुई है तब मृतका रूबी के साथ क्या घटित हुआ, मृतका को फांसी किसी रस्सी, दुपटटा या साड़ी से लगायी गयी अथवा उसने स्वयं फांसी लगायी, इसका विशिष्ट ज्ञान केवल अभियुक्त को हो सकता है। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है तो इसे साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। अतः प्रस्तुत मामले में भी मृतका की फांसी लगाने से मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, इसे साबित करने का भार अभियुक्त सुनील पर था, जिसके सम्बन्ध में उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए उपरोक्त परिस्थिति अभियुक्तगण के विरूद्ध अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मानी जायेगी।

38. जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध विकल्प में लगाये गये धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान के आरोप का प्रश्न है तो अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के दोनों साक्षीगण मृतका रूबी की मृत्यु के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं और उन्होंने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने एवं मृतका की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से होने के आधार पर अभियुक्त सुनील के विरूद्ध मृतका रूबी की दहेज मृत्यु कारित करने का साक्ष्य दिया है। प्रश्नगत मामले में अभियुक्त सुनील पर लगाया गया मुख्य आरोप भी दहेज मृत्यु का है, जिसे प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह की सीमा से परे साबित करने में सफल रहा है, इसलिए विकल्प में लगाये गये धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान के आरोप का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के अवसर पर अथवा बहस के दौरान धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के वैकल्पिक आरोप के सम्बन्ध में अन्यथा साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अभियोजन द्वारा कोई इच्छा प्रकट नहीं की गयी है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त सुनील द्वारा मृतका रूबी की हत्या के अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि दहेज हत्या के मुख्य अपराध के आवश्यक तत्वों की पूर्ति होती है।

**निष्कर्ष**

39. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त सुनील के विरूद्ध यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि मृतका रूबी की शादी दिनांक 10.12.2020 को अभियुक्त सुनील के साथ हुई थी और शादी के सात वर्ष के भीतर उसकी अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है। अभियुक्त सुनील द्वारा अपनी पत्नी रूबी (मृतका) को दहेज में एक बुलेट मोटर साईकिल, वाशिंग मशीन व दो लाख रूपये नकद की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गयी और उसे मृत्यु के ठीक पूर्व तक लगातार क्रूरता के अधीन रखा गया, अर्थात अभियोजन पक्ष, अभियुक्त सुनील के विरूद्ध धारा 304 बी भारतीय दण्ड विधान के पांचों बिन्दुओं को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, जिसके बाद धारा 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त सुनील ने ही मृतका रूबी की दहेज मृत्यु कारित की है। बचाव पक्ष ऐसा

.....contd on page no.29

कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जो उपरोक्त उपधारणा को खण्डित कर सके। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में जो भी तर्क प्रस्तुत किये गये और न्यायालय का ध्यान साक्षीगण के प्रतिपरीक्षा में उत्पन्न हुई विसंगतियों पर आकृष्ट कराया गया तो वे तुच्छ प्रकृति की हैं और इस प्रकार की नहीं हैं कि जिनसे अभियोजन के मूल कथानक पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता हो और इस सम्बन्ध में विद्वान अधविक्ता द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वे स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अभियोजन का केस तथा अभियुक्त सुनील पर लगाये गये मुख्य आरोप अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यसे अभियुक्त सुनील के विरूद्ध पूर्णतः साबित है और अभियुक्त सुनील के विरूद्ध विकल्प में लगाया आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान एवं अभियुक्त रूपराम के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा धारा 498ए, 304बी सपठित 34, विकल्प में 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

40. तदनुसार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के सूक्ष्म एवं सम्यक मूल्यांकन के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त सुनील के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं और अभियुक्त सुनील उक्त आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है और वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान से दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अभियोजन पक्ष, अभियुक्त रूपराम के विरूद्ध अपने केस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त रूपराम धारा 498-A, 304-B सपठित 34 भारतीय दण्ड संहिता , विकल्प में धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

सत्र परीक्षण संख्या-657/2022 (मुकदमा अपराध संख्या-137/2022) में **अभियुक्त सुनील** को अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं **अभियुक्त रूपराम** को धारा 498ए, 304बी सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 302 सपठित 34 भारतीय दण्ड विधान व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सुनील न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है और जेरे हिरासत न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त रूपराम जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

................P. T. O.

अभियुक्त रूपराम की ओर से धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किये गये बन्धपत्र व जमानतनामे, आज निर्णय की तिथि से आगामी छः माह तक अस्तित्व में रहेंगे।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच के उपरान्त पेश हो।

**दिनांक–22.04.2024**

**( ज़फ़ीर अहमद )**
सत्र न्यायाधीश,
अमरोहा।

**दिनांकः 22.04.2024:–**

पत्रावली लंच के उपरान्त पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को दण्ड के बिन्दु पर सुना गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क पेश किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। वह 28 वर्षीय गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। उसके एक छोटा बच्चा भी है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी भी उसी पर है। उसकी आयु, आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उसके साथ उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुये कम से कम सजा से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दोषी सुनील को अपनी पत्नी रूबी (मृतका) की विवाह के सात वर्ष के भीतर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना करते हुये दहेज मृत्यु कारित किये जाने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जिसकी जड़े भारतीय समाज में काफी गहराई तक जा चुकी हैं और उसके परिणामस्वरूप बहुत–सी नव–वधुओं का दुर्भाग्यशाली मृत्यु का वरण करना पड़ता है। यह एक नृशंस, बर्बर एवं समाज में एक घिनौना व अत्यन्त गंभीर अपराध है, जो अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त कोई सहानुभूति पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उसे अधिक से अधिक सजा एवं अधिक जुर्माने से दण्डित किया जाये।

उक्त परिप्रेक्ष्य में **सीरिया उर्फ श्रीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** 2008(62) **ACC पृष्ठ 643** तथा **पंजाब राज्य बनाम प्रेम सागर एवं अन्य,** 2008 (62) ACC **पृष्ठ 616** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि किसी अपराधी को दोषसिद्ध करते समय दण्ड की मात्रा के लिए अपराध की प्रकृति, अपराध करने का तरीका तथा योजना हेतु अपराधी का आचरण, प्रयोग किये गये हथियार की प्रकृति, किस दशा में अपराध कारित किया गया तथा अपराधी की आयु व

.....contd on page no.31

मानसिक दशा पर विचार किया जाना चाहिए और दण्ड की मात्रा अर्थात अवधि अपराध के अनुरूप होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 304 बी भारतीय दण्ड विधान एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

**दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील** को अपराध अंतर्गत **धारा 304–बी भारतीय दण्ड विधान में 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास** से दण्डित किया जाता है।

**दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील** को अपराध **अंतर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड विधान में 03(तीन) वर्ष के सश्रम कारावास व अंकन 30,000/–(तीस हजार) रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध को **छः माह** का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

**दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील** को अपराध अंतर्गत **धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 (दो) वर्ष के सश्रम कारावास एवं अंकन 10,000/–(दस हजार) रूपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में दोषसिद्ध को **दो माह** का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील की उपरोक्त सभी सजायें साथ –साथ चलेंगी। दोषसिद्ध द्वारा प्रस्तुत मामले में अब तक कारागार में बितायी गयी अवधि, उसके मूल कारावास की सजा में समायोजित की जायेगी।

दोषी सुनील का सजायाबी वारंट बनाकर उसे सजा भोगने के लिए जिला कारागार, बिजनौर प्रेषित किया जाये। निर्णय की एक प्रति दोषी सुनील को निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

**दिनांक–22.04.2024** **( ज़फ़ीर अहमद )**
सत्र न्यायाधीश,
अमरोहा।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

**दिनांक–22.04.2024** **( ज़फ़ीर अहमद )**
सत्र न्यायाधीश,
अमरोहा।

टाईपकर्ताः आनन्द प्रकाश, आशुलिपिक